# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 362/2016 दायरा दिनांक : 26.10.2016**

**उनवान**

अजयसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र श्री रमेशचन्द जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरियां तहसील अंता जिला बारां राज.

.... अपीलांट

**बनाम**

1– हरीश आयु 42 वर्ष पुत्र श्री रमेशचन्द्र जाति जाट

2– विजय आयु 38 वर्ष पुत्र श्री रमेशचन्द्र जाति जाट

3– रमेशचन्द्र आयु 68 वर्ष पुत्र श्री मूलीलाल जाति जाट

4– शिवराज आयु 44 वर्ष पुत्र श्री रमेशचन्द्र जाति जाट

5– मूलीलाल आयु 95 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति जाट

6– बृजराज सिंह आयु 58 वर्ष पुत्र श्री मूलीलाल जाति जाट

7– राजसिंह आयु 30 वर्ष पुत्र श्री बृजराज सिंह जाति जाट

निवासीगण ग्राम ठीकरियां तहसील अंता जिला बारां राज.

8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अरूण सिंह एवं श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय दिनांक : 23–12–2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अंता के प्रकरण संख्या – 54/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा कम्प्यूटर से टाईप शुदा लिखित में राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में फोलो अप केम्प ठीकरिया तहसील अंता में दिनांक 30–05–2016 को प्रस्तुत किया था जिसे पांच कागजों पर आलेखित करवाया था तथा एक पृष्ठ पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के फोटो चस्पा किये गये थे। उक्त राजीनामे की मद नं. 4 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद में विवादित भूमियों का बंटवारा अ,ब,स,द कम से आलेखित करवाया था जिसे पढ समझकर अपीलांट ने हस्ताक्षर किये थे जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी को ग्राम ठीकरिया कैम्प में प्रस्तुत किया था।

प्रस्तुत राजीनामे की मद सं 4 की क.सं. द में खसरा नं. 31 रकबा 3.04 हैक्टर भूमि वाके ठीकरिया तहसील अंता का बंटवारा अपीलांट व रेस्पो. कम 4 के मध्य आलेखित किया गया एवं कम संख्या द में उक्त विभाजन को कॉलम अनुसार दर्शाया गया है जिसमें नाम वादीगण/प्रतिवादी गण, खसरा नं., रकबा, दिशाएं और किस्म बताई गयी है। उक्त राजीनामा आलेखित करते समय कम द में वर्णित बंटवारे को अपीलांट ने पढा व समझा जिसके उपरांत हस्ताक्षर किये, जिसके अनुसार रेस्पो. कम 4 को पश्चिम दिशा रकबा 1.52 हैक्टर व अपीलांट को पूर्वी दिशा में रकबा 1.52 हैक्टर हिस्सा तय हुआ। परंतु रेस्पो कम 4 जानबूझकर धोखाधडी करते हुए राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय पेश करने से पूर्वउक्त राजीनामे में अंकित कम सं. द के कॉलम में रकबा व दिशाओं में हेर फेर करते हुए अपीलांट के हिस्से को वाइटनर से मिटा कर मध्य इंक स्याही से लिख दिया व स्वयं के हिस्से में भी रकबे में वाइटनर का इस्तेमाल कर हेरा फेरी कर दिशाओं में इंक से एक शब्दपूर्वी बढा दिया तथा जिसके नीचे किसी प्रकार का इनीशियल भी नहीं है। उक्त हेरा फेरी जानबूझकर अपीलांट के कब्जे शुदा हक व हिस्से की भूमि पर बदनियति से कब्जा करने व हडपने की गरज से की गयी है। जो दुरूस्त होने योग्य हैं। उक्त हेरा फेरी के कारण निर्णय व डिक्री के आधार पर खोला नामान्तरकरण नं. 626 दिनांक 01–07–2016 स्वतः ही प्रभावशून्य होने से निरस्तनीय है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जाकर निर्णय व डिक्री में रेस्पो. कम 4 का हिस्सा राजीनाम मद नं. 4 के कम नं. द में की गयी हेरी फेरी को दुरूस्त कर पुनः खसरा नं. 31 में रकबा 1.52 हैक्टर पश्चिमी ओर व अपीलांट का हिस्सा खसर नं. 31 में रकबा 1.52 हेक्टर पूर्वी ओर का अंकित किया जावे तथा नामान्तरण संख्या 626 दिनांक 01.07.2016 को शून्य घोषित किया जावे।

(उमेदचंद लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी रेस्पो. कम 4 द्वारा जमीन खाली करने की धमकी देने व नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2016 प्राप्त करने पर हुई ,जिसपर अपीलांट ने अविलंब दिनांक 27–07–2016 को अधीनस्थ न्यायालय में उक्त निर्णय व डिक्री को दुरस्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र ओदश 21 नियम 26 व धारा 151, 152 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया । दुरूस्त नहीं होने की स्थिति में दिनांक 04–10–2016 को अपीलांट ने नकल प्राप्त की। अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खातेदारो के बीच राजीनामे से बटवारा हुआ, रेस्पोडेंट नं. 4 ने धोखाधडी करते हुए राजीनामा माननीय न्यायालय में पेश करने से पूर्व उक्त राजीनामा मे अकिंत कम संख्या 'द' के कॉलम मे रकबा व दिशाओं में हेर फेर करते हुए अपीलांट के हिस्से को वाइटनर से मिटा कर इंक स्याही से लिख दिया जिसमें नीचे किसी प्रकार का इनीशियल नही है। रेस्पोडेंट ने छल कपट कर डिक्री प्राप्त की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर नामांतरकरण संख्या 626 दिनांक 01.07.16 को शून्य घोषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि राजीनामा कोर्ट मे पेश हुआ। कोर्ट सबसे पूछ कर डिक्री करती है अतः काटाफासी डिक्री से पूर्व ही हो चुकी थी। यदि काटाफासी डिक्री के बाद होती तो यह फौजदारी प्रकरण बनता है। अतः राजीनामें के आधार पर डिक्री सही जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर किया है तथा डिक्री भी राजीनामे के आधार पर जारी की गई है। राजीनामे पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर भी अंकित है। यदि अपीलांट को कोई आपत्ति थी तो राजीनामा तस्दीक कराने के समय ही करनी थी। लेकिन अपीलांट द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नही की गई

और न ही कोई फौजदारी कार्यवाही की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

# डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code, Appendix G'9)**

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

**महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)**

अजयसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र श्री रमेशचन्द जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरियां तहसील अंता जिला बारां राज.

.... अपीलांट

**बनाम**

1–हरीश आयु 42 वर्ष पुत्र श्री रमेशचन्द्र जाति जाट
2–विजय आयु 38 वर्ष पुत्र श्री रमेशचन्द्र जाति जाट
3–रमेशचन्द्र आयु 68 वर्ष पुत्र श्री मूलीलाल जाति जाट
4–शिवराज आयु 44 वर्ष पुत्र श्री रमेशचन्द्र जाति जाट
5–मूलीलाल आयु 95 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति जाट
6–बृजराज सिंह आयु 58 वर्ष पुत्र श्री मूलीलाल जाति जाट
7–राजसिंह आयु 30 वर्ष पुत्र श्री बृजराज सिंह जाति जाट
निवासीगण ग्राम ठीकरियां तहसील अंता जिला बारां राज.
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 362/2016 एवं नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, अंता

मु.द.नं 54 /2016 निर्णय एवं डिकी दिनांक 31.05.2016

## दावा बाबत

माह अपील व तारीख **09** माह **12** सन् **2020**

हाजरी **श्री अरूण सिंह एवं श्री हरिओम चतुर्वेदी** मिनजानिब अपीलांट व
**श्री बाबूलाल जैन** अभिभाषक रेस्पोडेंट समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

**अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 31.05.2016 यथावत रखा जाता है ।**

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **23** माह **12** सन् **2020** को जारी किया गया ।

**(महेन्द्र लोढ़ा)**
**भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन**
**राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**

मोहर